



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236959
CG-DL-E-01072022-236959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2803]
No. 2803]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2946(अ).—केन्द्रीय सरकार को, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आईएचबी लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री अरविंद खरे, सक्षम प्राधिकारी आई एच बी लिमिटेड कांडला-गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना आदि विजनेस सेन्टर, प्लॉट नं. 78/3, केपिटल मॉल के पास, मिसरोद, होसंगाबाद रोड, भोपाल-462026 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील— नटेरन

जिला— विदिशा

राज्य—मध्य प्रदेश

गांव का नाम	खसरा नं./ ब्लॉक न.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आर.	चौ.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिरसी	32	00	11	58
	कुल	00	11	58
सेऊ	806	00	15	76
	कुल	00	15	76

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

S. O. 2946(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public Interest that for the transportation of the LPG in the state of Madhya Pradesh Pipeline Should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And Whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in.

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri Arvind Khare, Competent Authority, IHB Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project, Adi Business Centre, Plot No. 78/3, Near Capital mall, Misrod, Hosangabad Road, Bhopal-462026 within twenty one days from the date on which the copies of this notification Issued under Sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

TEHSIL : Nateran

DISTRICT: Vidisha

STATE: MP

Name of Village	Survey No./Block No	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SIRSI	32	00	11	58
	Total	00	11	58
SAU	806	00	15	76
	Total	00	15	76

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.